

**जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर**
(राजस्व शाखा)

पत्रांक:- 2626 /रा0,

प्रेषक,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर,

जमशेदपुर, दिनांक - 11 वीं नवम्बर 2017 ई0 ।

विषय:-

गैर मजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादी) भूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग -

आपका पत्रांक- 2179, दिनांक- 03.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर के अंतर्गत पिपला (एन0एच0-33 पर) घोड़ाबन्धा- गोविन्दपुर-अन्ना चौक तक सड़क निर्माण कार्य हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सह-अनुमंडल वन अधिकार समिति, धालभूम, जमशेदपुर एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 1817/रा0, दिनांक- 30.04.2015 के आलोक में "गैर मजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, सखुआ जंगल इत्यादि) भूमि जो जमशेदपुर अंचलान्तर्गत कुल रकबा- 1.16 एकड़ में सन्निहित है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा एकड़ में
1	जमशेदपुर	कस्तुलिया	1206	—	213	0.18
				—	118	0.02
				—	119	0.10
2		घोड़ाबन्धा	1195	—	1046	0.10
				—	1012	0.19
				—	429	0.09
3		धानचटानी	1294	—	46	0.48
कुल रकबा -						1.16

"उपरोक्त गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि के अपयोजन हेतु जिला प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् गैर मजरूआ (जंगल/जंगल-झाड़ी/सखुआ जंगल इत्यादी) के विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि की तरह प्रस्ताव समर्पित किया

प्र0
संवेदन (Forest)
11/11/17

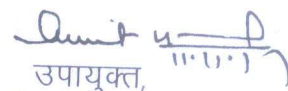
25/11/17
Executive Engineer
RCD Road Division
Jamshedpur

जायगा। गैर मजरूआ भूमि की तरह ही इस भूमि के हस्तानांतरण/लीज हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जायगी।

भारत सरकार से गैर मजरूआ जंगल, जंगल-झाड़ी, सखुआ जंगल इत्यादि भूमि के अपयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रयोक्ता एजेंसी के अनुरोध पर गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि के हस्तानांतरण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायगी।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन


उपायुक्त,

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Annexure-6 (Continued)

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर के अंतर्गत पिमला (एन0एच0-33 पर) घोड़ाबन्धा-गोविन्दपुर-अन्ना चौक तक सड़क निर्माण हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 1817/रा0, दिनांक- 30.04.2015 के आलोक में "गैर मजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, सखुआ जंगल इत्यादि) भूमि जो जिला-पूर्वी सिंहभूम, अंचल- जमशेदपुर, मौजा- कस्तुलिया, थाना संख्या- 1206,, प्लॉट संख्या- 213 एवं 218, किस्म भूमि- जंगल-झाड़ी में कुल रकबा- 0.935 एकड़ में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

₹0/-

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

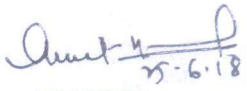
ज्ञापांक - 1454/रा0, जमशेदपुर, दिनांक - 25 वीं जून 2018 ई0

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर को उनके पत्रांक- 1403, दिनांक- 09.06.2018 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/6/18
Executive Engineer
RCD Road Division
Jamshedpur


25-6-18
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Annexure-12

Details of Deemed Forest Land of Anabad Bihar Sarkar/Jharkhand Sarkar Kism - Jungle-Jhadi

Sl.No.	Mauza	Plot No.	Area in Acre	Area in Hect.
1	Kastuliya	213	0.217	0.088
		218	0.718	0.291
2	Ghorabandha	1046	0.100	0.040
		1012	0.19	0.0769
		429	0.09	0.0364
3	Dhanchatani	46	0.48	0.194
		Total	1.795 Acre	0.726 Hect.

Status of NOC from Deputy Commissioner, East Singhbhum, Jamshedpur-

(A) As per Annexure-6, Letter No.2626, Dt. 11.11.2017 of D.C., East Sighbhum, Jamshedpur NOC is given as follows :-

Ghorabandha - 0.38 Acre

Dhanchatani - 0.48 Acre

Total - 0.86 Acre

(B) As per Annexure-6 (Continued), Letter No. 1454, Dt. 25.06.2018 of D.C., East Sighbhum, Jamshedpur NOC is given as follows :-

Kastuliya - 0.935 Acre

Total (A) + (B) = 1.795 Acre
or 0.726 Hect.


Executive Engineer
RCD, Road Div. Jamshedpur